

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री रामचन्द्र मीना
(आर.ए.एस.)

नम्बर

अहका

हुक्म क्र. 10स0 - 103/2016

में ज

उनवान

1. सैतान पिता जीवण गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. मथरा पिता जीवण गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. कालु, महेन्द्र, रेखा, भावना, ना0बा0व0वि0 माता गीतादेवी पत्नि जीवण गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. गीता देवी पत्नि जीवण गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. भोजा पिता छीतर गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
6. कालु पिता छीतर गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
7. देवकिशन पिता छीतर गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
8. माधु पिता जवारा गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)

----- (प्राथीगण)

बनाम

1. मीतु पिता जगरूप गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. देबी पिता छोगा गुर्जर निवासी खातनखेडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. बी0आर0जी0बी0 शाखा बनेड़ा जरिये मेनेजर बी0आर0जी0बी0 शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

----- (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 27.12.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 06.12.2016 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम खातनखेडी पटवार मण्डल उपरेडा भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 62 के आ0न0 1276, 1278 कुल किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.12.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खातनखेडी पटवार मण्डल उपरेडा भू0अ0नि0 उपरेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 62 के आ0न0 1276, 1278 कुल किता 2 कुल रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक उपरेडा को 600/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

3